"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 289]   रायपुर, बुधवार, दिनांक 12 जुलाई 2017 — आषाढ़ 21, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ–10–51/2017/वाक/पांच (95). – छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15–ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को, कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, दिनांक 1.7.2017 से 31.3.2018 तक की अवधि के लिए, कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :–

अनुसूची

अ. क्र.	माल का वर्ग	छूट की सीमा	निर्बन्धन तथा शर्ते
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 14 के खण्ड (दो–घ) में विनिर्दिष्ट से भिन्न अन्य एविएशन टरबाईन फ्यूल	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाए।	—

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2017

क्रमांक एफ–10–51/2017/वाक/पांच (95). – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–51/2017/वाक/पांच (95), दिनांक 12–07–2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 12th July 2017

NOTIFICATION

No. F-10- 51 /2017/CT/V (95). – In exercise of the powers conferred by section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below, from payment of tax to the extent specified in column (3), subject for the period from 1-7-2017 to 31-3-2018 :-

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Extent of exemption	Restriction and conditions
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Aviation turbine fuel other than that specified in clause (ii-d) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956).	Partly so as to reduce the rate of tax to 4 percent	–

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2017